भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

27.07.2022 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1759 का उत्तर

रेलयात्रियों की सुरक्षा

1759. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चलती ट्रेनों में यात्रियों को लूटने की कई घटनाएं हुई हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में लूटपाट की कितनी घटनाएं हुई हैं;
(ख) रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण/जांच करने में विफल रहने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए आरपीएफ कम सक्षम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
(ड.) यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक ट्रेन में कितने आरपीएफ कर्मियों को तैनात किया गया है; और
(च) सरकार द्वारा रेल यात्रियों की सुरक्षित यात्रा हेतु पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

रेलयात्रियों की सुरक्षा के संबंध में 27.07.2022 को लोक सभा में श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे और डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे के अतारांकित प्रश्न संख्या 1759 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' एवं 'कानून व्यवस्था', राज्यों के विषय हैं और इस प्रकार, रेलों में अपराधों का निवारण, पता लगाना, पंजीकरण और जांच तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना आदि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जिसे वे अपनी कानून प्रवर्तन एजेन्सियों यथा, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी)/स्थानीय पुलिस के माध्यम से निभाती हैं। बहरहाल, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर सुरक्षा और संरक्षा मुहैया कराने और उनसे जुड़े मुद्दों पर रेलवे सुरक्षा बल (रेसुब) जीआरपी/स्थानीय पुलिस के प्रयासों में सहायता करती है। यात्रियों के विरुद्ध अपराध के मामले भारतीय दंड संहिता और अन्य आपराधिक कृत्यों के अंतर्गत संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज किए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है। जीआरपी स्टेशनों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर, पिछले तीन वर्षों अर्थात 2019, 2020, 2021 और 2022 (जून तक) के दौरान भारतीय रेलों में गाड़ियों में यात्रियों के सामान की चोरी, लूट-पाट और डकैती के मामलों की संख्या निम्नानुसार है-

वर्ष	पंजीकृत किए गए मामलों की संख्या		
	यात्रियों के सामान की चोरी	लूट-पाट	डकैती
2019	32,322	524	28
2020	10,517	233	7
2021	15,434	382	13
2022 (जून तक)	10,602	274	2

गाड़ियों में आरपीएफ कार्मिकों की तैनाती का निर्णय संबंधित गाड़ी-खंडों की भेद्यता, समय-सारणी, क्षेत्र की स्थिति, खतरे की अनुभूति, मौजूदा अपराध स्थिति और कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर की जाती है। इसलिए गाड़ियों में आरपीएफ की तैनाती परिवर्तनशील होती है और समय-समय पर बदलती रहती है।

इसके अतिरिक्त, गाड़ियों में यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए राजकीय रेलवे पुलिस के सहयोग से रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं-:

1. भेद्य और चिह्नित मार्गोंखंडों पर/, विभिन्न राज्यों की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा प्रतिदिन गाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा गाड़ियों का प्रतिदिन मार्गरक्षण किया जाता है।
2. तत्काल सहायता के लिए यात्री रेल मदद पोर्टल पर सीधे या हेल्पलाइन नंबर 139 (राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 के साथ एकीकृत) के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।
3. यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रेलें ट्विटर, फेसबुक, कू आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए यात्रियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहती हैं।
4. चोरी, झपटमारी, जहरखुरानी आदि के विरूद्ध सावधानियां बरतने हेतु यात्रियों को जागरूक और सचेत करने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से निरंतर घोषणाएं की जाती हैं।
5. यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए गाड़ियों में सवारी डिब्बों में 5882और 861 रेलवे स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है।
6. 'मेरी सहेली' पहल के अंतर्गत, ट्रेनों से अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए पूरी यात्रा अर्थात प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक विशेष ध्यान दिया गया है।

7. क्षेत्रीय रेलों को जहां तक संभव हो, ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टियों में उचित संयुक्त संख्या में पुरुष और महिला आरपीएफ/आरपीएसएफ कार्मिकों की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं।
8. महिला यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बों में पुरुष यात्रियों के प्रवेश के विरुद्ध अभियान चलाए जाते हैं।
9. सभी नव-निर्मित इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) और कोलकाता मेट्रो के वातानुकूलित रेकों के महिला कंपार्टमेंटों/सवारी डिब्बों में आपातकालीन टॉक बैक प्रणाली और क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन सर्विलेंस कैमरे मुहैया कराए गए हैं। कुछ क्षेत्रीय रेलों में ईएमयू रेकों के महिला सवारी डिब्बों में फ्लैशर लाइटें भी मुहैया कराई गई हैं।
10. रेलों की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) का गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, अपराध के निवारण, मामलों के पंजीकरण, उनकी जांच और रेलवे परिसरों के साथ-साथ चलती गाड़ियों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेलवे द्वारा सभी स्तरों पर राज्य पुलिस/जीआरपी प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा जाता है।

*****